न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/310

सूरज मल आत्मज स्व0 धन्ना आयु 46 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. धूली बाई पत्नी स्व0 धन्ना लाल आयु 70 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. प्रेम शंकर आत्मज स्व0 धन्ना लाल आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. देवी लाल आत्मज स्व0 धन्ना लाल आयु 45 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. महावीर आत्मज स्व0 धन्ना लाल आयु 40 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. नन्द किशोर आत्मज स्व0 धन्ना लाल आयु 35 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. छोटू लाल आत्मज स्व0 धन्ना लाल आयु 30 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. रमेश आत्मज स्व0 धन्ना लाल आयु 25 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. देव बाई पुत्री आत्मज स्व0 धन्ना लाल आयु 43 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम तलवास हाल निवासी मोडक, शिवनगर मोडक गॉव तेजाजी के पास जहसील, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
9. कमला बाई पुत्री आत्मज स्व0 धन्ना लाल आयु 37 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम तलवास हाल निवासी मोडक, शिवनगर मोडक गॉव तेजाजी के पास तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
10. कान्ति बाई धर्मपत्नी भगवत प्रसाद आुय 50 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा श्रीयुत जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
12. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 9 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 10.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 9 ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद बाबत् घोषणा सहखातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम नयागॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी की कुल 10 किता की रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं नयागॉव तहसील नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 123 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा तथा ग्राम भंवरखोल की आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 व 3 में वर्णित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति है एवं वादपत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी स्व0 धन्ना की स्वअर्जित भूमि है । प्रतिवादी क्रम 1 सूरजमल ने पिता स्व0 धन्ना के जीवनकाल में वर्ष 92 में स्वयं को संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग कर स्व0 धन्ना की भूमि में से अपना हिस्सा करवा लिया और अपने हिस्से में आयी भूमि की कीमत के 30 हजार रूपये नगद प्राप्त कर लिये । इस प्रकार प्रतिवादी सूरजमल का वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा और काश्त नहीं रहा है । वादीगण संख्या 2 से 7 प्रतिवादी सूरजमल के अलग हो जाने के बाद से अब तक वादग्रस्त आराजियों पर अपने पिता स्व0 धन्ना के साथ उनके हिस्से की भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त रहे । सन् 98 के बाद से वादपत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित भूमि पर केता सीताराम माली निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है । वादीगण क्रम 1 से 9 वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित स्व0 धन्ना के हिस्से की भूमि पर तन्हा काबिज काश्त निरन्तर 12 वर्ष से अधिक की अवधि में होने के आधार पर प्रतिवादी सूरजमल के विरूद्ध कब्जा मुखालफाना के आधार पर सहखातेदार की हैसियत प्राप्त कर चुके हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों का वादीगण को मृतक धन्ना लाल के स्थान पर 1/2 हिस्से के तन्हा सहखातेदार घोषित किया जावे तथा वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि का मृतक खातेदार धन्ना के स्थान पर केवल वादीगण को हिस्सा बराकर के सहखातेदार घोषित किया जावे तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण को वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमियों पर या उसके किसी हिस्से से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे और वादीगण के तन्हा कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे एवं प्रतिवादीगण क्रम 3 व 4 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रतिवादीगण क्रम 1 के पक्ष में विवादित भूमि का मृतक खातेदार धन्ना के स्थान पर फौती नामान्तरकरण तस्दीक नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं दिनांक 15.06.2015 के द्वारा वाद वादीगण डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 15.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट सूरज मल ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद लोक अदालत में सिर्फ वादीगणों की उपस्थिति दिखा कर प्रतिवादी क्रम 1 के अनुपस्थित होते हुए भी स्वयं वादीगण के कथनों के आधार के डिक्री किया गया है जो कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर मिलना चाहिए जो कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत की कोई जानकारी पक्षकारों को नहीं दी गई । लोक अदालत में वादीगण की उपस्थिति दर्शा कर प्रतिवादी क्रम 1 की अनुपस्थिति में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि– विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरसत फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । लोक अदालत की सूचना पक्षकारों को दी गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा आंशिक रूप से डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण में से धूली बाई, कमला बाई, महावीर, नन्दकिशोर, छोटू लाल, राकेश, देवलाल एवं देवीलाल उपस्थित हुए हैं परन्तु प्रतिवादी में से कोई उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणागवुण के आधार पर निर्णय पारित कर दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकीयात कायम की थी परन्तु अपना निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीधीन निर्णय पारित किया है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए, सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा